



राजस्थान सरकार

## कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

क्रमांक: सहा./2025/ 2630

दिनांक 03.11.2025

श्रीमान वित्तीय सलाहकार,  
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं  
नागरिक सुरक्षा विभाग, राज0 जयपुर।

विषय :- रबी फसल सम्वत 2079 वर्ष 2023 में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति से प्रभावित  
काश्तकारों को देय कृषि आदान-अनुदान राशि के बजट आवंटन करने बाबत।  
प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ2(9)0आप्रएव सहा/लेखा/बजट/2025-26 राजकाज सं  
14545448 दिनांक 03.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला भरतपुर में रबी फसल सम्वत 2079 वर्ष 2023 में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति से प्रभावित काश्तकारों को देय कृषि आदान-अनुदान राशि के वितरण हेतु डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से खाता संख्या व आईएफएससी कोड बैंक विवरण गलत होने के कारण पटवारियों की आई डी पर रिटर्न किया गया था। अब पटवारियों /तहसीलदारों से सत्यापित होकर प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर से रिवाइज प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट में ग की गई थी। कृपया बजट आवंटित कराने का श्रम करावे।

| मद/गतिविधि के लिये<br>संवत/अवधि की कुल<br>संख्या | मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत<br>उक्त पात्र लाभार्थियों |              | मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में<br>लाभार्थियों की |             | मद/गतिविधि में अवशेष<br>लाभार्थियों की |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
|                                                  | संख्या                                                     | राशि रू0     | संख्या                                           | राशि रू0    | संख्या                                 | राशि रू0     |
| 1                                                | 2                                                          | 3            | 4                                                | 5           | 6                                      | 7            |
| 90506                                            | 56541                                                      | 60,19,12,467 | 3926                                             | 3,93,69,843 | 33965                                  | 53,67,47,533 |

भवदीय,

( घनश्याम शर्मा )  
अति0 जिला कलक्टर,  
भरतपुर

क्रमांक: सहा./2025/

दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज0 जयपुर को  
सूचनार्थ प्रेषित है।

Document certified by  
Ghanshyam Sharma  
211620810@gmail.com  
Sharma  
Designation: Additional Collector  
And Additional District Magistrate  
Date : 03-11-2025 03:49:30

RajKaj Ref No.:  
Fax: (05644) 223355 Phone: 223086 (O), 223086 (R) Email: rajbha@nic.in  
eSign DSC

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, भरतपुर

क्रमांक: F.40( )Rabi/Hailstrome/2079/Revise/2025/83

दिनांक: 01/11/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/BHA/0010777

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 4617-624 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी II -2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

| तहसील  | कृषक संख्या | कृषक श्रेणी | फसल खराबा श्रेणी | राशि (रु में) |
|--------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| भरतपुर | 695         | SMF         | 33%-50%          | 9350073       |
| भुसावर | 24          | SMF         | 33%-50%          | 100750        |
| नदबई   | 50          | SMF         | 33%-50%          | 353995        |
| योग    | 769         |             |                  | 9804818       |

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[02]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,  
भरतपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, .....
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार .....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,  
भरतपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Zaman Choudhary  
Date: 2025.11.01 14:46:50 IST  
Reason: SelfAttested

